


श्री २४१/RTI/2013  
५/५/१३

20

बीरेन्द्र प्रसाद शुक्ल  
अधिवक्ता  
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद



आवास एवं कार्यालय :-  
128/104, मौरी, दारामंज  
निकट रस्तोगी धर्मशाला, इलाहाबाद  
Mob : 9452794707

पत्रांक:

दिनांक: २५-३-२०१३

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली

विषय :- हिन्दुओं के धर्माचार्य जगद्गुरु शंकराचार्यों को सरकार द्वारा विशिष्ट महत्वपूर्ण  
व्यक्ति (VVIP) का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा - ६ के अन्तर्गत अधिनियम में प्राविधानित  
समय सीमा के अन्तर्गत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. भारत सरकार ने हिन्दुओं के धर्माचार्य जगद्गुरु शंकराचार्यों को सरकार द्वारा विशिष्ट  
महत्वपूर्ण व्यक्ति (VVIP) का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी  
की है तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दुओं के धर्माचार्य जगद्गुरु शंकराचार्यों को विशिष्ट महत्वपूर्ण  
व्यक्ति (VVIP) के रूप में लाल बत्ती एवं हूटर लगे वाहन के प्रयोग की अनुमति दी  
है तो आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उपरोक्त विषयक सूचना हेतु निर्धारित शुल्क रु० १०/- तथा अन्य शुल्क रु.  
१०/- कुल रूपये २०/- का पोस्टल आर्डर संख्या 17F.105381, 17F.651653  
संलग्न करते हुए विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दु १ और २ की सूचना उपलब्ध कराने की  
कुपा करें।

भवदीय

*Shukla*  
(बी. पी. शुक्ल) 25/3/13  
एडवोकेट

21  
Sh  
S

By Speed Post/RTI MATTER

No. VI.23014/132/2013-VS  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(PP Division)

NDCC-II Building, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Jai Singh Road,  
New Delhi-110001, dated: 3<sup>rd</sup> May, 2013

- 6 MAY 2013

To

Shri Birendra Prasad Shukla,  
No.128/104, Mori, Daraganj,  
Near Rastogi Dharamshala,  
Allahabad  
Uttar Pradesh-247001.

**Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.**

\*\*\*

Sir,

Please refer to your RTI application dated 25.03.2013 received in this unit on transfer on 25.04.2013.

2. In this regard, it is stated that RTI Cell vide their OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 06.04.2013 has already provided the requisite information in respect of point No.(1) of your application. This unit has no additional information on this point.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)  
Director (VS) & CPIO  
Tele:23438120

Copy to: Shri Srinibas Pradhan, Deputy Secretary(E) & CPIO, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 06.04.2013.